

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

नवम् सत्र

मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

### 1. प्रश्नोत्तर:

#### (1) तारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

#### (2) अतारांकित :

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

### 2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, हिमाचल प्रदेश कृषि उपज विपणन(संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020(2020 का अध्यादेश संख्या 2) की धारा 83(3)(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र वर्ष 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्या:इन्ड-ए(ए)3-3/2018 दिनांक 31.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2020 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

- (3) श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394-395 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19;
  - (ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित); और
  - (iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 ।

### 3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2020-21), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
  - (i) समिति के 133वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 71वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;
  - (ii) समिति के 49वें मूल प्रतिवेदन (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 67वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वन विभाग से सम्बन्धित है;
  - (iii) समिति के 113वें मूल प्रतिवेदन (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 116वें कार्रवाई प्रतिवेदन (सप्तम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वन विभाग से सम्बन्धित है;
  - (iv) समिति के 171वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 266वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि वन विभाग से सम्बन्धित है;

- (v) समिति के 377वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 204वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है; और
- (vi) समिति के 167वें मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 299वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है ।
- (2) श्री रमेश चन्द धवाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2020-21), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 13वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि सामान्य प्रशासन विभाग की आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है; और
- (ii) समिति का 14वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि विकेन्द्रीयकृत नियोजन एवं नाबार्ड के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकता की डी0पी0आर0 की संवीक्षा पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है ।
- (3) श्री अनिल शर्मा, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2020-21), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-
- (i) समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन जोकि सैनिक कल्याण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;
- (ii) समिति का 13वां मूल प्रतिवेदन जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
- (iii) समिति का 14वां मूल प्रतिवेदन जोकि जोकि पुलिस विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है ।

#### 4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री अरूण कुमार, "कांगड़ा के निजी अस्पताल फॉटीस में प्रबन्धन द्वारा कोविड-19 से संक्रमित चिकित्सकों, अन्य स्टाफ व रोगियों के आंकड़ों को छुपाये जाने तथा टाण्डा मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिटी/सुपर स्पेशलिटी की सेवायें बन्द होने" से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

#### 5. विधायी कार्य :

##### सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर (2020 का विधेयक संख्यांक 11) विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

(ii) श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश युद्ध हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम संख्यांक 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

#### 6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

(1) डॉ० राजीव बिन्दल }  
(2) श्री राकेश जम्वाल } प्रस्ताव करेंगे कि:

"नई शिक्षा नीति पर यह सदन विचार करे ।"

शिमला-171004

दिनांक: 14 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,

सचिव ।

\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)  
(विधेयकों पर स्वीकृत संशोधन यदि कोई हो तो वह भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## नवम् सत्र

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020  
(2020 का विधेयक संख्यांक 11) जोकि दिनांक 15 सितम्बर, 2020 हेतु विचार-विमर्श एवं  
पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूची:-

| Sr. No. | Name of Member               | Page | Clause | Sub-clause | Lines | Proposed Amendment   |
|---------|------------------------------|------|--------|------------|-------|--|
| 1.      |                              | 2.   | 3.     | 4.         | 5.    | 6.   |
| 1.      | <b>Shri Rakesh Singha</b>    | 3    | 2      | (4)        | 19&20 | for the words, "The Vice-Chairman and non-official members shall be paid allowances, as may be prescribed", the words " <b>The Vice-Chairman and non-official members will be honorary members without any remuneration or allowances apart for TA/DA as may be applicable</b> " be substituted. |
| 2.      | <b>Shri Jagat Singh Negi</b> | 1    | 2      | 3(iii)     | 3&4   | for the words, "A person nominated by the Government", the words "A <b>Member of H.P. Legislative Assembly nominated by the H.P. Vidhan Sabha</b> " be substituted.  |

शिमला-171004  
दिनांक: 14 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*\*.

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## नवम् सत्र

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4)  
जोकि दिनांक 15 सितम्बर, 2020 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर  
स्वीकृत संशोधन की सूची:-

| Sr. No. | Name of Member               | Page | Clause | Sub-clause | Lines | Proposed Amendment  |
|---------|------------------------------|------|--------|------------|-------|---|
| 1.      |                              | 2.   | 3.     | 4.         | 5.    | 6.  |
| 1.      | <b>Shri Rakesh Singha</b>    | 1    | 2      | -          | 6     | for the word "Seven", the word " <b>Ten</b> " be substituted. |
| 2.      | <b>Shri Jagat Singh Negi</b> | 1    | 2      | -          | 6     | for the word "Seven", the word " <b>Ten</b> " be substituted. |

शिमला-171004  
दिनांक: 14 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*\*.